

तकनीकी सर्कुलर-DLI/RSO-05/2023

विषय : - CRO होने के बाद असंरक्षित गाड़ी कार्य और डिटेक्शन को Avoid करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही।
संदर्भ:- प्रधान कार्यालय पत्र सं0 230-Elect/TRS/202/Operational Circulars दिनांक 28.07.2022.
संदर्भ:- प्रधान कार्यालय पत्र सं0 230-Elect/TRS/202/Operational Circulars दिनांक 19.09.2023.

हालहीं में लोको फेलियर का एक ऐसा मामला आया है जिसमें CRO होने के उपरान्त लोको को पिट पर चैक किया गया परन्तु मैण्टीनेन्स स्टाफ द्वारा प्रधान कार्यालय के जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिसके पश्चात गाड़ी कार्य के दौरान लोको के बी.पी. पाईप फटने से समयहानि हुई। CRO होने के बाद लोको पायलट, TLC व मैण्टीनेन्स स्टाफ के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं-

➤ **लोको पायलट के लिये :-**

- CRO होने के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही-
 1. A-9 के द्वारा ब्रेक लगाकर तुरन्त गाड़ी को खड़ी करें।
 2. लोको के आगे के बी.पी. व एफ.पी. पाईप की सही स्थिति में होना सुनिश्चित करें।
 3. यदि लोको के आगे की बी.पी. एंगल पाईप टूटी अवस्था में हो तो-
 - a) यदि लोको में बी.पी. एडिशनल कौक लगे हों तो उसे बंद करें।
 - b) यदि बी.पी. एडिशनल कौक उपलब्ध नहीं है तो लोको विफल करें व रिलीफ लोको की माँग करें।
 - c) कोस्टिंग में ब्लॉक सैक्शन साफ करने की कोशिश करें।
 4. यदि लोको के आगे की एफ.पी. एंगल पाईप टूटी अवस्था में हो तो-
 - a) यदि लोको में एफ.पी. एडिशनल कौक लगे हों तो उसे बंद करें।
 - b) यदि एफ.पी. एडिशनल कौक उपलब्ध नहीं है तो लोको तथा गाड़ी की तरफ के एफ.पी. एंगल कौक को बंद करें तथा सिंगल पाईप से गाड़ी कार्य करें।
 5. यदि किसी कोच में न्यूमैटिक सस्पेंशन हो तो उस स्थिति में अधिकतम 60 kmph की स्पीड तक गाड़ी कार्य किया जायेगा। अतः न्यूमैटिक सस्पेंशन सिस्टम व LHB रैक होने की स्थिति में सैक्शन कण्ट्रोलर के निर्णय का पालन किया जायेगा।
 6. सुनिश्चित करें कि लोको और गाड़ी के ट्रेलिंग एण्ड के हॉज पाईप, कपलिंग और एंगल कौक सही स्थिति में है।
 7. सुनिश्चित करें कि लोको का कैंटल गार्ड सही स्थिति में है, ट्रैक को उसका कोई भी हिस्सा छू नहीं रहा है और लोको सही प्रकार से कार्य करने की स्थिति में है। लोको का अण्डरफ्रेम तथा साइड फ्रेम को Visually चैक करने के पश्चात ही गाड़ी को स्टार्ट करें।
 8. CRO होने के बाद मवेशियों का शव गाड़ी के अन्दर से Passed होने के बाद भी प्रभावित गाड़ी/वैगन के अण्डरफ्रेम को चैक करेंगे।
 9. यदि कोई भी पार्ट लटक रहें हो या ट्रैक को छू रहे हो तो उसे सिक्कुर करें या हटा दें।
 10. गाड़ी को मूव न करें यदि लोको के कोई भी पार्ट व ट्रेलिंग स्टॉक डैमेज हो।
 11. यदि CRO होने के बाद मवेशियों का शव गाड़ी के अन्दर से Passed हो जाता है, यदि Doubt हो कि मवेशियों का शव ट्रैक में हो सकता है तो यह पीछे से आनेवाली गाड़ियों के लिये असंरक्षित है तथा SR 6.07/1 के अनुसार कार्यवाही करेंगे "अर्थात् LP व Guard ट्रैक पर किसी भी असामान्य स्थिति में, जो ट्रेन संचालन के लिये असंरक्षित है निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे"-
 - a) LP गाड़ी को ब्लॉक सैक्शन क्लीयर किये बिना रोकें और संचार के उपलब्ध साधनों के माध्यम से स्टेशन मास्टर को सूचित करें। सिंगल लाइन के मामले में प्रभावित ब्लॉक सैक्शन के किसी भी छोर से तथा डबल लाइन के मामले में पीछे से किसी भी ट्रेन को अनुमति न दें। IBS तथा ऑटोमैटिक सैक्शन के मामलों में LP को संचार के उपलब्ध साधनों के माध्यम से पीछले स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिये।
 - b) बिना सैक्शन क्लीयर किये हुये स्टेशन मास्टर को लिखित में मीमो देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन मास्टर ने अच्छी तरह से समझ लिया है उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

उत्तर रेलवे

12. CRO की घटना होने पर क्षेत्रीय TLC को सूचित करेंगे तथा लॉगबुक में लिखेंगे। LP लोको का चार्ज लेने के बाद लॉगबुक को पढ़ेंगे तथा UOR के विषय में TLC को सूचित करेंगे।
13. यदि लोको का En-route में Reversal होना है तो CRO हुये लोको का बी.पी. व एफ.पी. रबर पाईप बदला जायेगा भले ही बी.पी. व एफ.पी. पाईप सामान्य हो। यदि बी.पी. और एफ.पी. पाईप उपलब्ध नहीं है तो लोको में रखे हुये स्पेयर बी.पी. व एफ.पी. पाईप का प्रयोग किया जायेगा। यदि मैण्टीनेन्स स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो इसका विवरण लोको लॉगबुक में लिखेंगे। निकाले गये पुराने बी.पी. व एफ.पी. पाईप को दुबारा से इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

➤ TLC :-

1. जैसे ही TLC को CRO के मामलों में सूचना दी जायेगी, TLC तुरन्त सैक्शन कंट्रोलर से संपर्क करने के बाद इसे ICMS में लॉगइन करायेगा।
2. गाड़ी को संरक्षित रूप से फिर से चलाने के लिये चालकदल को आवश्यक सहायता की तुरन्त व्यवस्था की जायेगी।
3. लोको की अच्छी तरह से जाँच करने और बी.पी. और एफ.पी. पाइपों को बदलने के लिये, भले ही सामान्य हो, अगले उपयुक्त स्टेशन पर अनुरक्षण स्टाफ की व्यवस्था की जायेगी।
4. CRO के संबंध में C&W को भी अवगत कराया जाये ताकि जरूरत पड़ने पर उपयुक्त स्टेशन पर उसके द्वारा गाड़ी की जाँच की व्यवस्था की जा सके।
5. गाड़ियों की समयहानि तथा Repercussions को CRO के एकाउन्ट में लॉगइन कराया जायेगा।
6. गन्तव्य स्थान पर यदि मैण्टीनेन्स स्टाफ उपलब्ध हो तो लोको को आउटपिट पर भेजकर जाँच की व्यवस्था की जायेगी, यदि गन्तव्य स्थान पर मैण्टीनेन्स स्टाफ की सुविधा नहीं है तो दूसरे छोर पर गहन जाँच के लिये पिट पर लोको लगाने के लिये आवश्यक मैसेज रिले किया जायेगा।

➤ मैण्टीनेन्स स्टाफ के लिये :-

1. CRO के विषय में TLC के द्वारा अवगत कराने पर मैण्टीनेन्स स्टाफ बी.पी. व एफ.पी. पाईप के साथ स्टेशन पर पहुँचेंगे। बी.पी. और एफ.पी. पाईप सामान्य मिलने पर भी बदला जायेगा। बदले हुये पाईपों को क्षतिग्रस्त कर उसे दो टुकड़ों में काट दें, ताकि उसे दुबारा उपयोग में न लिया जा सके। लोको का अण्डरफ्रेम अच्छी तरह से चैक किया जायेगा ताकि संरक्षित परिचालन हो सके अन्यथा लोको को CRO एकाउन्ट में फेल करें तथा लोको को गाड़ी से डिटेच करायें।
2. लोको विफलता से बचने के लिये यह सुनिश्चित करें कि पुनः लोको को आउटपिट पर अण्डरफ्रेम व साइड फ्रेम को अच्छी तरह से जाँच कराया जायेगा।
3. यदि CRO के बाद लोको के किसी उपकरण में भारी क्षति पाई जाती है जैसे—Gears, Coupling, Mounting arrangements and Buffers etc. तो लोको को गहन जाँच के लिये निकटतम शैड भेजा जायेगा।

अतः समस्त मुख्य लोको निरीक्षक एवं समस्त आउटपिट इंचार्ज अपने मनोनीत स्टॉफ को उक्त मदों पर काउंसलिंग करें व अपनी काउंसलिंग रिपोर्ट लिखित रूप से दिनांक 20.10.2023 तक मण्डल कार्यालय में दें।


वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ।
2. मुख्य कर्षण लोको नियंत्रक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे— TLC's की काउन्सलिंग हेतु।
3. समस्त मुख्य लोको निरीक्षक—गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली, आनन्द विहार, पानीपत, जींद, जाखल, रोहतक, निजामुद्दीन, पलवल, मेरठ, शकूरबस्ती एवं तुगलकाबाद—आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रत्येक विद्युत लोको आउटपिट इंचार्ज नई दिल्ली, दिल्ली, आनन्द विहार, गाजियाबाद, तुगलकाबाद तथा नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन (उ.म.रे.)- आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त लोको लॉबी नोटिस बोर्ड— सूचनार्थ।
6. बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद—आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/चिपियाना/गाजियाबाद/उत्तर रेलवे—आवश्यक कार्यवाही हेतु।

तकनीकी सर्कुलर